

कार्यालय:- जिला कार्यक्रम अधिकारी, (आई0सी0डी0एस0) सीतापुर।

पत्रांक

/ जि0का0अ0 / बा0वि0परि0 / विज्ञप्ति / 2025-26 दिनांक : 10 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद सीतापुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के पदों की संख्या
1.	रामपुर मथुरा	ग्रामीण	53
2.	पहला	ग्रामीण	101
3.	सकरन	ग्रामीण	71
4.	रेउसा	ग्रामीण	70
5.	बिसवौ	ग्रामीण	104
6.	सिधौली	ग्रामीण	54
7.	खैराबाद	ग्रामीण	109
8.	महोली	ग्रामीण	43
9.	मछरेहटा	ग्रामीण	59
10.	पिसावौ	ग्रामीण	55
11.	गहमूदाबाद	ग्रामीण	37
12.	परसेण्डी	ग्रामीण	49
13.	लहरपुर	ग्रामीण	49
14.	बेहटा	ग्रामीण	72
15.	कसमण्डा	ग्रामीण	95
16.	मिश्रिख	ग्रामीण	52
17.	हरगांव	ग्रामीण	148
18.	गौदलामऊ	ग्रामीण	99
19.	एलिया	ग्रामीण	41
20.	शहर	शहर	47
योग-			1408

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड होगी।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
2. रिक्त पदों (आंगनबाड़ी सहायिकाओं) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
3. आवेदिका को रिक्त पदों के ग्रामसभा/वार्ड (शहरी) स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्रामसभा/वार्ड के आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित तिथि 01.07.2025 (कट ऑफ डेट) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
6. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य किये जायेंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7. विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11 नवम्बर, 2025 से 01 दिसम्बर, 2025 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
8. विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ भी सकती है।
9. उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
10. यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है, या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। स्वयं उत्तरदायी होंगी। त्रुटि सुधार हेतु आफलाइन किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080.00 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56,460.00 वार्षिक आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा, तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर निर्गत आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकें। (आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज0-9 दिनांक 30.09.2011 [यथा संशोधित] के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।)
12. जाँति व निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाँति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकें।
13. आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता क्रमानुसार निम्नवत् है:-
 - (I) उरगी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (II) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यक्ता बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (III) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (IV) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (V) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यक्ता ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (VI) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

नोट:- (I) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होगी।

(II) तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में विधिक/न्यायालय का आदेश ही मान्य होगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार राव)

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
सीतापुर।

पृ0स0 - C-3352

/तददिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, सीतापुर।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
4. सूचना विभाग, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित तहसील एवं सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा करवाना सुनिश्चित करें, तथा साथ ही सम्बन्धित ग्रामसभा/वार्ड के रिक्त पदों की जानकारी ग्राम प्रधान/सभासद को देना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय प्रति।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
सीतापुर।